समाचार

पात्र हितग्राहियों के बैंक ऋण स्वीकृति में शीघ्रता करें बैंक–आयुक्त

(टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में हितग्राहियों के प्रकरणों का किया गया अनुमोदन, व्यक्तिगत ऋण के 315, समूह ऋण के 18 प्रकरण किए गए प्रस्तुत, ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे जाएंगे प्रकरण)

कोरबा 10 अक्टूबर 2019 –आयुक्त श्री राहुल देव ने बैंकों से कहा है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार हेतु पात्र हितग्राहियों के बैंक ऋण की स्वीकृति में बैंक शीघ्रता दिखाएं, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु समय पर बैंक ऋण प्राप्त हो सके तथा वे अपना रोजगार प्रारंभ कर स्वावलंबी बन सके।

नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभागार में आज आयुक्त सह सिटी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा श्री राहुल देव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस.बी.आई. रेसमिक नित्तिर शोम, लीड बैंक मैनेजर संजय वर्मा, उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी, सिंडीकेट बैंक के ब्रांच मैनेजर अमित चौरे मिशन मैनेजर मनीष भोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आयुक्त श्री देव ने टास्क फोर्स कमेटी के

अध्यक्ष के रूप में स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की समीक्षा की तथा प्रकरणों पर आवश्यक विचार विमर्श किया। यहां उल्लेखनीय है कि डे–एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं समूह ऋण की स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला शहरी विकास अभिकरण के पास प्रस्तुत किए जाते हैं, इस हेतु गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा इन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर उनका अनुमोदन करती है, तत्पश्चात अनुमोदित प्रकरण ऋण स्वीकृति हेतु संबंधित बैंकों को भेजे जाते हैं। आज कमेटी की बैठक के दौरान व्यक्तिगत ऋण के 315 आवेदन पत्र तथा समूह ऋण के 18 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, बैठक में उपस्थित हितग्राहियों का साक्षात्कार भी लिया गया तथा उनके आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर उनका अनुमोदन किया गया। आयुक्त श्री राहुल देव ने बैंकों से कहा कि उनके पास हितग्राहियों के जो अनुमोदित प्रकरण ऋण हेतु भेजे जा रहे हैं, उनके नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही वे यथाशीघ्र करें, ताकि हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति हेतु बार–बार बैंक न जाना पड़े, उन्हें शीघ्र ऋण प्राप्त हो सके तथा वे अपना व्यवसाय प्रारंभ कर स्वावलंबी बन सके।

कपड़े थैले बनाने आगे आएं– इस मौके पर आयुक्त श्री देव ने प्लास्टिक कैरी बैग के सक्षम विकल्प के रूप में कपड़े, जूट, कागज आदि के थैलों के निर्माण पर बल देते हुए महिला हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया कि वे कपड़े आदि के थैले बनाने के लिए आगे आएं। उन्होने कहा कि इससे वे एक ओर जहां स्वरोजगार प्राप्त करेंगी, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण सहयोग भी देंगी।

विभिन्न व्यवसायों हेतु बैंक ऋण – स्वरोजगार से आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के महती उद्देश्य को साथ लेकर कियान्वित डे–एन.यू.एल.एम. योजना अंतर्गत शहरी गरीबों को उनके स्वयं के व्यवसाय हेतु प्रकरण तैयार कर ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे जाते हैं। किराना दुकान, जनरल स्टोर, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटीपार्लर, जूता चप्पल दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी दुकान, अगरबत्ती निर्माण, आटो रिक्शा, आटा चक्की, साईकिल मरम्मत, स्वल्पाहार दुकान आदि सहित अन्य विविध प्रकार के व्यवसाय हेतु बैंक ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।